



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-64

आर.बी.ई. सं.- निल

पत्र सं NER-HQOPERS(POLI)/4/2020-O/o SPO/HQ/HQ/NER

दिनांक 19.11.2020

सचिव/महाप्रबन्धक

23

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय - पुर्नसंरचना के उपरान्त पदोन्नति में अनियमितता के संबध में पद्धति सुधार ।

एक परिवाद की जाँच में पाया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे में एक मण्डल में दिनांक 01.11.2013 से लागू कैडर पुर्नसंरचना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षकों की पदोन्नति का लाभ दिया जाना था। एक स्वास्थ्य निरीक्षक का स्थानान्तरण वर्ष 2014 में अन्य रेलवे में हो गया था। संबधित मण्डल द्वारा पुर्नसंरचना के तहत पदोन्नति का लाभ वर्ष 2017 में दी गई। पदोन्नति का लाभ देते समय तैयार की गई वरियता सूची में इनकम्बेसी रजिस्टर का संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त स्थानान्तरित स्वास्थ्य निरीक्षक को वर्ष 2017 में तत्काल प्रभाव से पदोन्नति का लाभ दिया गया, जबकि वह कर्मचारी पूर्वोत्तर रेलवे के पे रोल पर था ही नहीं। उक्त अनियमितता के कारण वरियता में अगला पात्र कर्मचारी पदोन्नति का लाभ पाने से वंचित रह गया ।

अतः उक्त मामलें में यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी तरह के पदोन्नति करते समय वर्तमान इनकम्बेसी रजिस्टर के आधार पर वरियता सूची अद्यतन तैयार की जाय तथा सभी सम्बन्धित कर्मचारी को इसकी सूचना देते हुए नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता से बचा जा सकें ।

(प्रदीप कुमार)

वकाधि/मुख्यालय

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओवीसी एसोसियेशन/गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर 273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-64

आर.वी.ई. स-निल

पत्र सं. NER-HQOPERS(POLI)/4/2020-O/6 SPO/HQ/HQ/NER

दिनांक 19.11.2020

२३

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय - पुर्नसंरचना के उपरान्त पदोन्नति में अनियमितता के संबन्ध में पद्धति सुधार ।

एक परिवाद की जांच में पाया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे में एक मण्डल में दिनांक 01.11.2013 से लागू केंद्र पुर्नसंरचना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षकों की पदोन्नति का लाभ दिया जाना था। एक स्वास्थ्य निरीक्षक का स्थानान्तरण वर्ष 2014 में अन्य रेलवे में हो गया था। संबन्धित मण्डल द्वारा पुर्नसंरचना के तहत पदोन्नति का लाभ वर्ष 2017 में दी गई। पदोन्नति का लाभ देते समय तैयार की गई वरियता सूची में इनकम्बेसी रजिस्टर का संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त स्थानान्तरित स्वास्थ्य निरीक्षक का वर्ष 2017 में तत्काल प्रभाव से पदोन्नति का लाभ दिया गया, जबकि वह कर्मचारी पूर्वोत्तर रेलवे के पे यल पर था ही नहीं। उक्त अनियमितता के कारण वरियता में अगला पात्र कर्मचारी पदोन्नति का लाभ पाने में बाधित रह गया ।

अतः उक्त मामलों में यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी तरह के पदोन्नति करते समय वर्तमान इनकम्बेसी रजिस्टर के आधार पर वरियता सूची अद्यतन तैयार की जाय तथा सभी सम्बन्धित कर्मचारी का इसकी सूचना देते हुए नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता से बचा जा सकें ।

(प्रदीप कुमार)

वकाधि/मुख्यालय

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिनिधिप निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओवीसी एसोसियेशन/गोरखपुर ।

23-11-20

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक